

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

म.प्र. लोक निर्माण विभाग, 27-28, निर्माण भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

Website : www.mppwd.gov.in

Email : pwdbhop@mp.nic.in

Phone No. - 0755-2551485, Fax - 2556527

क्रमांक/लोनवि/2016/सर्कुलर/संचार/3625 भोपाल, दिनांक 25/10/2016
प्रति,


समस्त मुख्य अभियंता,
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश ।

विषय :- कांक्रीट मार्ग (रीजिड पेवमेंट) निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश।
संदर्भ:- इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक लोनवि/2015/संचार/1069 भोपाल दिनांक 2-5-2016

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के बिन्दु क्रमांक-3 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

पेवमेंट कांक्रीट का कार्य किये जाने के पश्चात बीम एवं कांक्रीट की 7 दिवस की स्ट्रेंथ ठीक पाये जाने पर ठेकेदार को संबंधित कार्य का 50 प्रतिशत भुगतान किये जाने के प्रावधान के स्थान पर 75 प्रतिशत का भुगतान किया जाये। शेष 25 प्रतिशत भुगतान 28 दिवस के पश्चात कार्य मापदण्डानुसार पाये जाने पर किया जाये। शेष निर्देश पूर्वानुसार ही रहेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।


(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/लोनवि/2016/सर्कुलर/संचार/
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 25/10/2016

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. वरिष्ठ निज सहायक, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन अरेरा हिल्स, भोपाल।

1
(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश

27-28, निर्माण भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

Website : www.mppwd.gov.in

Email : pwdbbtop@mp.nic.in

Tel. No. -0755-2551485 Fax No.- 0755-2556527

क्रमांक/लोनवि/2015/संचार/ 1069

भोपाल दिनांक 02-05-2015

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता/
समस्त अधीक्षण यंत्री/
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय:- कांक्रीट मार्ग (रीजिड पेवमेंट) निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश।


--00--

कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि विभाग में कांक्रीट पेवमेंट के जो कार्य कराये जा रहे हैं वे निर्धारित मानक स्तर के नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कांक्रीट पेवमेंट में या तो गहरे केक्स परिलक्षित होते हैं अथवा मार्ग की सतह अत्यंत खराब हो जाती है। इस प्रकार की परिस्थिति पीक्यूसी कार्य में प्रयुक्त की जा रही कांक्रीट की अल्प गुणवत्ता के कारण ही मुख्यतः होती है।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कांक्रीट पेवमेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मान से निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

- अ. कांक्रीट मार्ग के निर्माण हेतु एमओआरटी एण्ड एच, आई आर सी एवं आई एस के संबंधित निर्देशों / मापदण्डों का पालन किया जाये।
- ब. गुणवत्ता की दृष्टि से इन कार्यों के संबंध में निम्नानुसार मुख्य बिन्दुओं का पालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये -
 1. ड्रायलीन कांक्रीट के कार्य पर प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के कार्य हेतु काम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग के लिये कम से कम 3 सेम्पल्स लिये जायें (संदर्भ आई एस 516 एवं एम ओ आर टी एण्ड एच क्लाज 903.5.1.1)।
 2. पेवमेंट कांक्रीट के कार्य पर प्रत्येक 150 क्यूबिक मीटर कार्य के लिये कम से कम 3 बीम एवं 3 क्यूब स्पेसिमेन लिये जायें। 1 स्पेसिमेन में 6 क्यूब तथा 6 बीम होंगे जिनमें से तीन 7 दिवस के पश्चात तथा तीन 28 दिवस के पश्चात टेस्ट किये जायेंगे। यदि एक कार्य दिवस में 150 क्यूबिक मीटर से कम कार्य किया जाता है तो भी कम से कम उपरोक्तानुसार 3-3 स्पेसिमेन लिये जाने होंगे (संदर्भ आई एस 516 एवं एम ओ आर टी एण्ड एच क्लाज 903.5.2.1)।


3. पेवमेंट कांक्रीट का कार्य किये जाने के पश्चात बीम एवं कांक्रीट क्यूब्स की 7 दिवस स्ट्रेंथ ठीक पाये जाने पर टेकेदार को संबंधित कार्य का 50 प्रतिशत भुगतान किया जा सकेगा। कास्टिंग के 28 दिवस पश्चात पेवमेंट से कोर कटर के माध्यम से सेम्पल्स लिये जाकर तथा उनकी टेस्टिंग विभागीय एवं एनएबीएल प्रयोगशालाओं में पूर्व निर्देशों के अनुसार किये जाने तथा किया गया कार्य मापदण्ड के अनुसार पाये जाने पर ही शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्य 28 दिवस की टेस्टिंग में मानक अनुसार (मोटाई एवं कामप्रेसिव स्ट्रेंथ के मान से) नहीं पाया जाता है तो संबंधित कार्य अमान्य करते हुये, इसके विरुद्ध पूर्व में किये गये 50 प्रतिशत भुगतान की रिकवरी तत्काल संबंधित बिल से की जाये।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्यतः कोर हेतु 1 कि.मी. लंबाई के कार्य में 3 कोर सेम्पल्स लिये जायें। 1 कि.मी. से कम लंबाई के कार्य में 2 सेम्पल भी लिये जा सकते हैं। सेम्पल ऐसे स्थानों से लिये जायें जहां विजुअल इंस्पेक्शन से कांक्रीट की गुणवत्ता संदेहास्पद है। जहां से भी सेम्पल लिये जायें उस होल को तत्काल एम40 कांक्रीट से भरवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।
5. भविष्य में जिन कार्यों पर कांक्रीट पेवमेंट का पूर्ण अथवा आंशिक कार्य किया जाना है उनमें निविदा बुलाते समय इस परिपत्र को निविदा प्रारूप का भाग बनाया जाये।


(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/लोनवि/संचार/2015/ 1070
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 02-05-2015

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।


(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश